

न्यायालय जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर  
सीगा धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम  
प्रकरण संख्या 101/2025 (GCMS: 2025/109)  
राज्य सरकार जरिये कविता, जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर  
बनाम


1. श्री तरसेम वर्मा पुत्र श्री लेखराम उम्र 34 साल जाति कुशवार निवासी बस स्टैण्ड, नुरपुरा सादुलशहर (मोबाईल नम्बर 97729-87824)
2. फर्म/दुकान तरसेम जनरल स्टोर, गांव नुरपुरा, सादुलशहर, श्रीगंगानगर

12.06.2025

पत्रावली पेश हुई। अप्रार्थी के अधिवक्ता श्री मुकेश कुमार एवं विभागीय प्रतिनिधि श्रीमती पूजा अग्रवाल, प्रवर्तन निरीक्षक उपस्थित हुए। अप्रार्थी के अधिनवक्ता ने पूर्व में जवाब पेश किया हुआ है। विभागीय प्रतिनिधि को दिनांक 11.06.2025 को सुना गया, पत्रावली का अवलोकन किया गया।

विभागीय प्रतिनिधि ने अपनी बहस में कथन किया कि जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर मय प्रवर्तन स्टाफ दिनांक दिनांक 06.03.2025 को अवैध डीजल/पेट्रोल की बिक्री की शिकायत की जांच करने तरसेम जनरल स्टोर, गांव नुरपुरा, सादुलशहर पहुंचे। मौके पर तरसेम वर्मा पुत्र लेखराम उपस्थिति मिले, जिनकी उपस्थिति में दुकान की जांच की गई। दुकान की जांच करने पर 18 लीटर पेट्रोल मय जरीकन, 02 प्लास्टिक की कीप, 03 लोहे के माप पाये गये। जिन्हें तरसेम वर्मा ने उक्त समस्त सामग्री स्वयं का होना स्वीकार किया। मौके पर उक्त पेट्रोल से सम्बन्धित कोई बिल आदि भी प्रस्तुत नहीं किया गया।

उनका आगे यह भी कथन है कि तरसेम वर्मा ने पंजाब के पेट्रोल पम्पों से लाकर डीजल-पेट्रोल का बेचान तरसेम जनरल स्टोर, गांव नुरपुरा सादुलशहर, श्रीगंगानगर पर करता है। वक्त पूछताछ मौके पर मोहन लाल द्वारा पेट्रोल को बेचान करने संबंधी कागजात/अनुमति/अनुज्ञापत्र प्रस्तुत नहीं किया गया।


  
P. S.  
जिला कलक्टर  
श्रीगंगानगर

उनका आगे यह भी कथन है कि बिना अनुज्ञापत्र के पेट्रोल के बेचान के कारण 18 लीटर पेट्रोल मय जरीकन, 02 प्लास्टिक की कीप, 03 लोहे के माप, को जरिये फर्द जब्ती जब्त किया गया। इसलिए उससे जब्त किया गया उक्त 18 लीटर पेट्रोल मय जरीकन, 02 प्लास्टिक की कीप, 03 लोहे के माप राजसात करने योग्य है।

उनका आगे यह भी कथन है कि अप्राथी तरसेम वर्मा ने बिना अनुमाति/ अनुज्ञापत्र के पेट्रोल का बेचान करना मोटर स्पिंट और उच्च वेग डीजल (प्रदाय और वितरण कर विनियमन और अनाचरण निवारण) आदेश 2005 के खण्ड 2(थ), 3(4), 4 का स्पष्ट उल्लंघन किया है। इसलिए उससे जब्त किया गया 18 लीटर पेट्रोल मय जरीकन, 02 प्लास्टिक की कीप, 03 लोहे के माप राजसात करने की प्रार्थना की है।

अप्रार्थी तरसेम वर्मा ने अपने जवाब में उल्लेख किया है कि प्रार्थी की दुकान में 18 लीटर पेट्रोल मय जरिकेन पाये गये थे और उक्त पेट्रोल पम्प पंजाब के पेट्रोल पम्प से लाना और दुकान पर बेचान बताया है, जो गलत है। प्रार्थी पेट्रोल का अवैध बेचान नहीं करता है। बल्कि उक्त पेट्रोल अपने व्यक्तिगत उपयोग के लिये ही लाया था।

उनका आगे यह भी कथन है कि प्रार्थी के पास दो वाहन जिसका रजिस्ट्रेशन नम्बर आरजे 13 सीबी 1685(कार) एवं एक मोटरसाईकिल नम्बर आरजे 13 डीएस 4873 है, जिसमें से कार प्रार्थी के नाम से तथा मोटरसाईकिल प्रार्थी की भाभी इन्द्रा पत्नी विनोद कुमार के नाम से है। इन वाहनों में ही पेट्रोल का उपयोग किया जाना था। प्रार्थी अपनी दुकान पर ना तो पेट्रोल किसी को विक्रय करता है और ना ही भण्डारण करता है। प्रार्थी ने उक्त पेट्रोल का व्यक्तिगत कार्यों के लिए खरीद किया गया। इसलिए प्रार्थी के विरुद्ध प्रस्तुत शिकायत दाखिल दफ्तर फरमाने की प्रार्थना की है।

  
जिला कलक्टर  
श्रीगंगानगर

मैने, विभागीय प्रतिनिधि एवं अप्रार्थी के अधिवक्ता के द्वारा जवाब में प्रस्तुत तर्कों पर मनन किया एवं धारा 6ए के प्रार्थना पत्र उसके साथ प्रस्तुत अन्य संलग्न दस्तावेजों आदि का भी ध्यानपूर्वक अवलोकन किया तो पाया कि दिनांक 06.03.2025 को अवैध पेट्रोल व डीजल की बिक्री की शिकायतों की जांच हेतु जिला रसद अधिकारी मय प्रवर्तन स्टाफ टीम तरसेम जनरल स्टोर, गांव नुरपुरा सादुलशहर पर पहुंचे। मौके पर उपस्थित व्यक्ति ने पूछने पर उसने अपना परिचय तरसेम वर्मा पुत्र श्री लेखराम बताया, जिसकी उपस्थिति में दुकान की जांच की गई। दुकान की जांच करने पर दुकान में 18 लीटर पेट्रोल मय जरीकन, 02 प्लास्टिक की कीप, 03 लोहे के माप पाये गये। मौके पर पूछताछ पर तरसेम वर्मा द्वारा पेट्रोल बेचान करने संबंधी कागजात/अनुमति/अनुज्ञापत्र प्रस्तुत नहीं किये गये। बिना अनुज्ञापत्र के पेट्रोल बेचान के कारण 18 लीटर पेट्रोल मय जरीकन, 02 प्लास्टिक की कीप, 03 लोहे के माप को जब्त किया गया। फर्द सुपुर्दगीनामा अलग से तैयार किया गया। अप्रार्थी द्वारा पेट्रोल की खरीद, बेचान, परिवहन व संग्रहण आदि कर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के सैक्शन 03 के तहत जारी मोटर स्पिंट और उच्च वेग डीजल (प्रदाय और वितरण का विनियमन और अनाचार निवारण) आदेश 2005 के क्लाज 02(थ), 03(4), 04 का स्पष्ट उल्लंघन है। इस प्रकार से अप्रार्थी से जब्तशुदा 18 लीटर पेट्रोल मय जरीकन, 02 प्लास्टिक की कीप, 03 लोहे के माप को राजसात करने की प्रार्थना की है।

आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 14 के अनुसार इस तथ्य का भार अप्रार्थी पर ही था कि उसके द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत बने किसी भी अधिनियम, नियम, आदेश, अध्यादेश तथा अधिसूचना की अवहेलना नहीं की है। आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 14 निम्न प्रकार से है:-

“जहां कोई व्यक्ति धारा 3 के अधीन किये गये किसी ऐसे आदेश का उल्लंघन करने के लिए अभियोजित किया जाता है उसे विधिपूर्ण प्राधिकार के बिना अथवा किसी अनुज्ञापत्र, अनुज्ञप्ति या अन्य दस्तावेज के बिना कोई कार्य करने से या किसी चीज को कब्जे में रखने से प्रतिषिद्ध करता है, वहां यह साबित करने का भार कि उसके पास ऐसा प्राधिकार, अनुज्ञापत्र, अनुज्ञप्ति या अन्य दस्तावेज है उसी पर होगा।”


Mensu

जिला कलक्टर  
श्रीगंगानगर

पत्रावली के अवलोकन से पाया कि अप्रार्थी से जब्तशुदा 18 लीटर पेट्रोल को बेचान करने के कारण जब्त की गई है। अप्रार्थी द्वारा पेट्रोल को बेचान करने संबंधी कागजात/अनुमति/अनुज्ञापत्र/बिल या अन्य अन्य कोई दस्तावेज पेश नहीं किया गया है, जिससे यह साबित होता है कि अप्रार्थी तरसेम वर्मा पेट्रोल अवैध रूप से बेचान के कार्य में लिप्त है।

यह सही है कि सम्बन्धी पक्षों को न्यायालय के समक्ष स्वच्छ हाथों (clean hand) से ही आना चाहिए जो पक्षकार न्यायालयों में स्वच्छ हाथों (clean hand) से नहीं जाते हैं वे किसी प्रकार की राहत प्राप्त करने के हकदार नहीं हो सकते हैं। अप्रार्थी से 18 लीटर पेट्रोल मय अन्य सामग्री उसकी फर्म/दुकान तरसेम जनरल स्टोर, गांव नुरपुरा जब्त की गई है जिसे वह अपने व्यक्तिगत उपयोग के लिए बताया रहा है। फर्म/दुकान तरसेम जनरल स्टोर, गांव नुरपुरा पर अप्रार्थी द्वारा पेट्रोल बेचान करते पाया गया है, जो साबित करता है कि अप्रार्थी तरसेम वर्मा अवैध पेट्रोल के बेचान के कार्य में लिप्त है।


यहां यह भी उल्लेख करना उचित होगा कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के सैक्शन 3 के तहत जारी "विलायक, रेफिनेट और स्लॉप (अर्जन, विक्रय, भण्डारण और ऑटोमोबाईल्स में उपयोग व निवारण) आदेश 2000 के पृष्ठ संख्या 187-188 पर दिये गये विलायकों के वर्गीकरण बिन्दु संख्या 12(1) के अनुसार 30 लीटर तक पेट्रोलियम पदार्थ का भंडारण बिना अनुज्ञप्ति के किया जा सकता है, इससे अधिक भण्डारण करने हेतु अनुज्ञप्ति का होना आवश्यक है जबकि अप्रार्थी तरसेम वर्मा द्वारा विक्रय हेतु अधिकृत अनुज्ञप्ति न होने के बावजूद भी पेट्रोल का विक्रय किया गया है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि अप्रार्थी के पास भी किसी प्रकार की कोई क्रय/विक्रय/भण्डारण/परिवहन करने की कोई अनुज्ञप्ति पेश नहीं की है। इसलिए इससे यह स्पष्ट है कि अप्रार्थी तरसेम वर्मा और उसकी फर्म/दुकान तरसेम जनरल स्टोर, नुरपुरा अवैध कारोबार में लिप्त है। इसलिए उक्त अप्रार्थीगण से जब्तशुदा 18 लीटर पेट्रोल मय अन्य सामग्री राजसात करने योग्य ठहरते हैं।

  
जिला कलक्टर  
श्रीगंगानगर

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के सैक्शन 3 के तहत जारी "विलायक, रेफिनेट और स्लॉप (अर्जन, विक्रय, भण्डारण और ऑटोमोबाईल्स में उपयोग व निवारण) आदेश 2000 के पृष्ठ संख्या 187-188 पर दिये गये विलायकों के वर्गीकरण बिन्दु संख्या 12(1), मोटर स्पिंट और उच्च वेग डीजल (प्रदाय और वितरण का विनियमन और अनाचार निवारण) आदेश, 2005 की धारा 02(थ), 3(4), 04 के प्रावधानों की अवेहलना के कारण जब्तशुदा 18 लीटर पेट्रोल मय अन्य सामग्री राजसात किये जाते है।

चूंकि पूर्व में माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायिक (1990)2 दृष्टांत Shambu Dyal Aggarwal Versus State of Bangarl & Anr. Page 665, State of Bihar & Anr. versus Arvini Kumar & Anr. 2012 Cr. L.R. (SC)(726) and - Madras High Court CRIMES 1992(1) K.P. Francis V State by Inspector of Police and Page 56 में दिये गये मार्गदर्शन एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6ए(2)(i) के प्रावधानों के अन्तर्गत जब्त शुदा उक्त 18 लीटर पेट्रोल के अन्तरिम निस्तारण करने के आदेश दिये गये थे अब उक्त राजसात किये गये 18 लीटर पेट्रोल की विक्रय राशि स्थाई रूप से राज्य पक्ष में राजकोष में जमा करवाने के लिए जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर को आदेश दिये जाते है। जिला रसद अधिकारी को आदेशित किया जाता है कि उक्त तरसेम वर्मा पुत्र श्री लेखराम एवं उसका परिवार राज्य खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ ले रहा है अथवा नही? यदि उक्त तरसेम वर्मा एवं उसका परिवार राज्य खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ ले रहा हो तो उसकी पात्रता की जांच 2 दिवस में कर अद्योहस्ताक्षरकर्ता को सूचित करें एवं उक्त जांच को इस प्रकरण से अलग रखा जावे। इस आदेश की प्रति जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 12.06.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

  
(डॉ. मन्जू)

जिला कलक्टर  
श्रीगंगानगर